<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला अन्तर्गत धारा एम.वी.एक्ट है, जो समन मामला है एवं वर्ष 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व का है।

प्रस्तुत मामला उत्तर प्रदेश दण्ड विधि/अपराधों का शमन व विचारणों का उपशमन अधिनियम 1979 की धारा 09 सपठित उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन व विचारणों का उपशमन संशोधन) अध्यादेश दिनाँकित 22 मार्च 2023 की धारा 2 के अन्तर्गत आता है। जिसके अनुसार 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व के उपरोक्त से सम्बन्धित मामले उपशमित हो जायेंगे।

अतः उक्त विधिक प्रावधान के आलोक में वर्तमान वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर/बीड हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उन्नाव।